संख्या : 369(1)- चौवालिस–2-102/89

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त उद्यमों/निगमों
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 27 मार्च 1990

विषय : दिवाली और नये वर्ष के अवसर पर कार्ड आदि छपाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में प्रतिवर्ष दिवाली और नये वर्ष के अवसर पर निगम/उपक्रम के खर्चे से बधाई पत्र आदि छपाये जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह प्रवृत्ति उचित नहीं है।

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियम/नियमों कम्पनीज ऐक्ट 1956 अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों/निगमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ०प्र० अधिनियम सं०–41/1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों में किसी प्रकार के बधायी पत्र आदि न छपाये जायं।

भवदीय,
[ आर० रमणी ]
सचिव।

संख्या :

संख्या : 369(1)/44-2-102/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1-
2- (1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के सचिव/विशेश सचिव।
3- (2) सार्वजनिक उद्यमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग।
4- (3 सहकारिता सचिव।
5- (4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[ आर० एन० सिन्हा ]
अनु सचिव।